संख्या-172/2024/491/35-4-2024/35-4099/51/2021

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक 05 अप्रैल, 2024

विषय:- जनपद- श्रावस्ती में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद श्रावस्ती में शासनादेश संख्या-140/2021/1402/35-4-2021, दिनांक 18-09-2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित प्रश्नगत 01 कार्य हेतु रू0 3884.64 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 971.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। शासनादेश संख्या-248/2022/864/35-4-2022/001-35-4099/51/2021 दिनांक 10-08-2022 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रू0 971.16 लाख, शासनादेश संख्या-8/2023/14/35-4-2023/001-35-4099/51/2021 दिनांक 04-01-2023 द्वारा तृतीय किस्त के रूप में रू0 971.16 लाख एवं शासनदेश संख्या-377/2023/976/35-4-2023/001-35-4099/51/2021 दिनांक 25-03-2023 द्वारा चतुर्थ किस्त के रूप में रू0 713.73 लाख, इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रू0 3627.21 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

जिलाधिकारी, श्रावस्ती के पत्र सं0-744/त्वरित आर्थिक विकास योजना-2021-2022/2023-24 दि0 26-02-2024 द्वारा प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित लागत रू0 3884.64 लाख के सापेक्ष अद्यतन स्वीकृति लागत रू0 3627.21 लाख का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए एवं कार्य की बचत धनराशि रू0 63.20 लाख का उल्लेख करते हुए अवशेष धनराशि रू0 194.23 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 194.23 लाख (रूपये एक करोड़ चौरानबे लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	कार्य की लागत बचत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
भिनगा लक्ष्मणपुर (अन्य जिला मार्ग) के किमी0-1.700 से 15.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3884.64	63.20	3627.21	194.23

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18.09.2021, 10.08.2022 04.01.2023, एवं 25.03.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी|
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-229/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 194.23 लाख (रूपये एक करोड़ चौरानबे लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04- जिला तथा अन्य सड़कें, 337- सड़क निर्माण कार्य, 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था, 24- वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-224/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

संख्या-172/2024/491(1)/35-4-2024/35-4099/51/2021/ तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त,देवीपाटन मण्डल।
8- मुख्य अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रावस्ती ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग|
12-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ लोक निर्माण विभाग, श्रावस्ती ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।